



साइबर क्राइम पुलिस थाना कमिश्नेट लखनऊ

टीसी-33, वी-2 विभूतिखण्ड गौमतीनगर लखनऊ

ईमेल आईडी- cepsstf.ln-up@gov.in

मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं0.795

दिनांक-08/03/2025

साइबर क्राइम थाना लखनऊ द्वारा माह- मार्च, 2025 में लगभग 6207314.57/- रूपये की धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि विगत माह में साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न तरीकों से बहला-फुसलाकर आम जनमानस के साथ साइबर फ्रॉड किया गया, जिनके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी), श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लखनऊ पर प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में ठगी की गयी धनराशि की बरामदगी/वापसी हेतु टीम गठित की गयी, जिसमें प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना लखनऊ के निर्देशन में टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही करते हुये **विगत माह मार्च-2025 में लगभग 6207314.57/- रूपये की धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।**

अभियोग एवं वापस करायी गयी धनराशि का विवरण-

माह - मार्च, 2025		
क्र0सं0	क्राइम नं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	17/2025	200000
2	168/2024	230000
3	19/2025	962600
4	197/2024	127400
5	214/2024	2266726
6	17/2025	616349
7	163/2024	18739.57
8	03/2025	100000
9	33/2025	1739000
10	129/2024	175000
11	200/2024	100000
11	132/2024	101500
कुल धनराशि		6207314.57

गिरफ्तारी एवं धनराशि बरामद/वापस कराने में अधिकारी/कर्मचारी –

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
2. निरीक्षक डा0 विनोद सिंह साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
3. उ0नि0 रवि वर्मा साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
4. उ0नि0 नीतू सिंह साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
5. उ0नि0 अंकित शर्मा साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
6. का0 विवेक कुमार यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
7. का0 धनीश यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
8. का0 संजय कुमार साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
9. का0 राजेश तिवारी साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
10. का0 सौरभ गंगवार साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०-794

दिनांक-08.04.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर बहलस फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.03.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री को दिनांक 23.03.2025 को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अभियुक्त राम मिलन पुत्र राम प्रकाश गुप्ता निवासी लल्लूमल धर्मशाला के पास झुग्गी झोपड़ी थाना वजीरगंज लखनऊ आदि द्वारा भगा ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना हाजा पर मु०अ०सं० 72/2025 धारा 137(2)/87 भा०न्या०सं० पंजीकृत किया गया।

नियमानुसार विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 07.04.2025 को चकबस्त चौराहे के पास से थाना वजीरगंज पुलिस की टीम द्वारा अभियुक्त राम मिलन पुत्र राम प्रकाश गुप्ता निवासी लल्लूमल धर्मशाला के पास झुग्गी झोपड़ी थाना वजीरगंज लखनऊ को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से ही पीड़िता की सकुशल बरामदगी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-राम मिलन पुत्र राम प्रकाश गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी लल्लूमल धर्मशाला के पास झुग्गी झोपड़ी थाना वजीरगंज लखनऊ

03-पंजीकृत अभियोग—

01-मु०अ०सं० 72/2025 धारा 137(2)/87 भा०न्या०सं० थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र थाना वजीरगंज लखनऊ
2. उ०नि० श्री मुन्ना लाल थाना वजीरगंज लखनऊ
3. म०का० सारिका वर्मा थाना वजीरगंज लखनऊ
4. का० रामनरेश थाना वजीरगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-798

दिनांक 08.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि विंध्यवासिनी मंदिर के पास एक व्यक्ति विवाद कर रहा है व उत्तरेठिया पुल के पास कुछ लड़के आपस में वाद विवाद कर रहे है प्राप्त सूचना के आधार पर उ0नि0 अंकुर कुमार मय पुलिस टीम के खाना होकर पहुँचे तो देखा कि अमित कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह उम्र करीब 34 वर्ष निवासी विजय नगर सेक्टर B निलमथा थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ जो अपनी पत्नी से विवाद कर रहा है मौके पर पुलिस बल द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परंतु वह नहीं माना व और अधिक उग्र होकर अमादा फौजदारी होने लगा। मौके पर संज्ञेय अपराध की घटना कारित होने की प्रबल संभावना को देखते हुए अमित कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह निवासी उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बता कर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया व उ0नि0 कनक कुमार यादव मय पुलिस टीम के खाना होकर प्राप्त सूचना के आधार पर बबलू पुत्र मेढीलाल निवासी ग्राम पिपरी खेड़ा, वृन्दावन योजना, सेक्टर 19, थाना पीजीआई, लखनऊ उम्र 19 वर्ष उत्तरेठिया पुल के पास कुछ लड़के आपस में वाद विवाद कर रहे है मौके पर जा कर देखा तो एक व्यक्ति नाम पता पूछने पर बबलू उपरोक्त बता रहा है और जोर जोर से रोड किनारे जा रहे एक व्यक्ति को आपत्तिजनक शब्द बोल रहा है काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन और उग्र होकर आमामादा फौजदारी होने लगा जिससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई मौके पर संज्ञेय अपराध रोकने व शान्ति व्यवस्था कायम रखने दृष्टिगत आवश्यक बल प्रयोग करते हुए बबलू उपरोक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा- 170/126/135 बीएनएसएस हिरासत पुलिस मे लेकर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. अमित कुमार सिंह पुत्र मनोज कुमार सिंह निवासी विजय नगर सेक्टर B निलमथा थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष
2. बबलू पुत्र मेढीलाल निवासी ग्राम पिपरी खेड़ा, वृन्दावन योजना, सेक्टर 19, थाना पीजीआई, लखनऊ उम्र 19 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०-799

दिनांक 08.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी टीम को सूचना प्राप्त हुयी कि खुर्दही बाजार में दो व्यक्ति किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद कर रहे है व ग्राम हरिहरपुर में कुछ व्यक्ति आपस मे विवाद कर रहे है प्राप्त सूचना के आधार पर उ०नि० संदीप कुमार शर्मा मय पुलिस टीम के रवाना होकर पहुँचे तो देखा कि आलोक मिश्रा पुत्र रामअवतार मिश्रा नि० ग्राम परियत बाजार थाना बरसटी जिला जौनपुर हालपता खुर्दही बाजार थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र -28 वर्ष जो खुर्दही बाजार में दो व्यक्ति किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद कर रहे है जब पुलिस टीम द्वारा दोनो पक्षो को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो द्वितीय पक्ष के अरविन्द उपरोक्त तो मान गये किन्तु प्रथम पक्ष के आलोक मिश्रा उपरोक्त की बात को मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि और अधिक उग्र होकर तेज तेज आवाज में चिल्लाते हुये आमामादा फौजदारी होने लगा । मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने व संज्ञेय अपराध निवारण हेतु तत्काल आलोक मिश्रा उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया व उ.नि. अंकुर कुमार मय पुलिस टीम के रवाना होकर प्राप्त सूचना के आधार पर विकास पुत्र श्री केशन निवासी ग्राम हरिहरपुर निलमथा थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र -27 वर्ष ग्राम हरिहरपुर में एक लड़का अपनी पत्नी व ससुरालीजनो से विवाद कर रहा है जब पुलिस टीम द्वारा काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया परंतु वह नहीं माना व और अधिक उग्र होकर अमादा फौजदारी होने लगा। मौके पर संज्ञेय अपराध की घटना कारित होने की प्रबल संभावना को देखते हुए विकास पुत्र श्री केशन निवासी उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बता कर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा-170/126/135 बीएनएसएस हिरासत पुलिस मे लेकर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आलोक मिश्रा पुत्र रामअवतार मिश्रा नि० ग्राम परियत बाजार थाना बरसटी जिला जौनपुर हालपता खुर्दही बाजार थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र -28 वर्ष
2. विकास पुत्र श्री केशन निवासी ग्राम हरिहरपुर निलमथा थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र -27 वर्ष

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-796

दिनांक 08.04.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर एक ही भूमि का दोबारा बैनामा कर धोखाधड़ी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम की सफलता।

संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री अमर सिंह पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम आनन्दपुर मजरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ द्वारा दिनांक 11.03.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत करायी गयी एफआईआर के अनुसार वादी मुकदमा की मां श्रीमती मालती द्वारा थाना गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहांगीपुर में स्थित भूमि गाटा संख्या 83 रकबा 0.1315 हेक्टेयर को 12 लाख रुपये में अभियुक्तगण 1. शंकरलाल पुत्र परमेश्वर व 2. कुंवारे उर्फ रामकुमार निवासीगण ग्राम रसूलपुर मजरा जहांगीरपुर थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा क्रय किया था।

उक्त बैनामे में उनके पुत्र क्रमशः सूरज पाल व दिलीप कुमार भी गवाह थे। क्रय की गयी भूमि का भुगतान वादी मुकदमा के द्वारा विक्रेतागण शंकरलाल व कुंवारे उपरोक्त को 5 लाख रुपये नगद देकर, 3 लाख रुपये अभियुक्त कुंवारे के बैंक खाते में व 03 लाख 35 हजार रुपये अभियुक्त शंकरलाल के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से देकर तथा 65 हजार रुपये नगद बयाना के रूप में देकर कुल 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

जब वादी मुकदमा उक्त क्रय की गयी भूमि पर कब्जे के लिये गये तो उनको जानकारी हुई कि अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा उक्त भूमि का पूर्व से ही वर्ष 2017 में किसी अन्य व्यक्ति को बैनामा किया जा चुका है तथा मौके पर कब्जा भी अभियुक्तगण का नहीं है। अभियुक्तगण शंकरलाल व सूरज पाल उपरोक्त को आज दिनांक 08.04.2025 को थाना पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, जिनको वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

अन्य अभियुक्तगण कुंवारे व दिलीप कुमार की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. सूरज पाल पुत्र शंकरलाल निवासी रसूलपुर मजरा जहांगीरपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष
2. शंकरलाल पुत्र परमेश्वर निवासी रसूलपुर मजरा जहांगीरपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र 60 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 107/25 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गोसाईगंज, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 232/24 धारा 323/504 भादवि थाना गोसाईगंज, लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार पाण्डेय
2. का0 सुखराम सिंह
3. का0 रविभूषण पाण्डेय



पुलिस कमिश्नेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-797

दिनांक- 08.04.2025

जोन पूर्वी/थाना आलमबाग

- आटो रिक्शा चोरी करने वाले एक शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।
- चोरी किया गया एक अदद आटो रिक्शा बरामद।
- थाना आलमबाग पुलिस की कार्यवाही।

01-कार्यवाही-

थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा वादी मुकदमा प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र विश्राम प्रसाद निवासी रघुनाथ पुरवा पोस्ट बन्नापुर थाना बघौली जनपद हरदोई उम्र करीब 27 वर्ष (सम्बन्धित मु0अ0सं0 51/25, धारा- 303(2) बीएनएस थाना आलमबाग लखनऊ) को थाना आलमबाग क्षेत्र स्थित टुनटुनिया फाटक के पास लोको मोटिव रेलवे कारखाना आलमबाग से दिनांक 08.04.2025 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के पास से बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी।

02-अपराध का तरीका -

अभियुक्त प्रदीप कुमार वर्मा उपरोक्त द्वारा मुकदमा वादी का आटो रिक्शा चोरी करना।

03-घटना का विवरण-

वादी मुकदमा आकाश तिवारी पुत्र श्री राजकुमार तिवारी निवासी- पारा नरपट खेडा मानकनगर लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक -28/03/2025 को प्रार्थी का आटो रिक्शा वाहन जिसका न0 UP32VN4864 का सीएनजी परमिट गाडी रामू पुत्र राजाराम निवासी कमला पुर थाना सदन्ना जनपद सीतापुर को चलाने के लिये दी थी। जिसे ड्राइवर रामू रात में और प्यारे दिन में चलाते थे। जो कि रात्रि 10.00 बजे रामू ने प्यारे को फोन करके बताया की मवईया के निकट कैबवे के पास गाडी खडी थी। जिसको आसपास के लोगो ने बताया की प्रदीप वर्मा नि0 गांव रघुनाथ पुरवा थाना भगौली जनपद हरदोई जो कि रिक्शा चालक है, लेकर भाग गया है।

वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 04.04.2025 को मु0अ0सं0 51/25, धारा- 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

04-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र विश्राम प्रसाद निवासी रघुनाथ पुरवा पोस्ट बन्नापुर थाना बघौली जनपद हरदोई उम्र करीब 27 वर्ष

